2024/753

फर्द अहकाम

निर्णय
26.12.2024

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

तेजपाल बनाम स्टेट

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 544 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
03.12.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 09.12.2024 को पेश हो। [signature]	
9.12.2024	वकुलाए फरीकैन उपस्थित/PU मार्फत [illegible] मौजूद है। पत्रावली [illegible] वास्ते बहस दिनांक 26.12.2024 को पेश हो। [signature]	
26.12.2024	वकुलाए फरीकैन उपस्थित। स्टेट जवाब प्रस्तुत हुआ। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड आदि के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब व तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.12.27 19:18:21 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या :– 544/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट
तेजपाल पुत्र रामरख जाति जाट निवासी पोहड़का तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

–वादी

बनाम

तहसीलदार(राजस्व) पल्लू, तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।

–प्रतिवादी

उपस्थितः– श्री विनोदकुमार स्वामी वकील–वादी
पेरोकार राज–प्रतिवादी

निर्णय दिनांक– 26/12/2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष श्री विनोदकुमार स्वामी वकील वादी व पेरोकारराज तहसीलदार राजस्व पल्लू उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा कि जाती है कि चक 5 आरपीएम के प.नं. 177/10(36) कि.नं. 6 ता 10, 12 ता 15 की 2.264 है., पोहड़का बरानी के खाता सं. 181/138 के प.नं. 137/16(324) कि.नं. 1/1, 2 ता 9, 10/1, 11/1, प.नं. 157/10(83) कि.नं. 24, 25, प.नं. 157/26(85) कि.नं. 11 ता 21, प.नं. 178/25(343) कि.नं. 12, 13, 18 ता 20, 21/1, 22/1, 23/1 की कुल 7.413 है. व पोहड़का बारानी के खाता सं. 566/473 के प.नं. 178/9(345) कि.नं. 23/1, 24/1, 25/1 की 0.606 है. भूमि में दर्ज वादी का नाम तेजाराम पुत्र रामरख के स्थान पर तेजपाल पुत्र रामरख दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26/12/2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.12.27 19:18:21 IST
Reason: SelfAttested